


या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय
निहित न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं।
अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर
अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी
जायदाद (प्लॉट न. 01, खसरा न.-1144/236, ग्राम बरोडिया, ग्राम पंचायत- कविता,
तहसील-गिर्वा, उदयपुर (राज.) पर स्थित है जो अखिलेश सोनी पुत्र श्री घनश्याम लाल
सोनी के नाम से है, जिसका कुलिया क्षेत्रफल 5500 वर्गफीट है। चतुर्सीमाएँ- उत्तर में
प्लॉट न. 03, दक्षिण में रोड, पूर्व में आराजी न. 236 का भाग, पश्चिम में प्लॉट न. 02) का
कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश
दिया जाता है।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि
बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार
पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।




(अरविन्द कुमार पोसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर